प्राधिकरण की 120वीं बैठक का कार्यवृत्त

MINUTES OF THE 120th MEETING OF THE AUTHORITY

हैदराबाद में 25 नवंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित

held on 25th November, 2022 at 11:00 AM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देवाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राकेश जोशी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री थामस देवसिया
अंशकालिक सदस्य	श्री शुचीन्द्र मिश्र
अंशकालिक सदस्य	सीए. (डा.) देवाशीष मित्र

साथ ही उपस्थितः

पदनामित अधिकारी	श्री जी. आर. सूर्य कुमार
बोर्ड सचिवालय	श्रीमती बी. पद्मजा
	श्रीमती सी. फ्लोरी मूर्ति

Present:

Chairperson	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Smt. S N Rajeswari
Whole-time Member	Shri Rakesh Joshi
Whole-time Member	Shri Thomas Devasia
Part-time Member	Shri Suchindra Misra
Part-time Member	CA. (Dr.) Debashis Mitra

Also present:

Designated Officer	Shri G R Surya Kumar
Board's Secretariat	Smt. B Padmaja
	Smt. C Flory Murthy

अध्यक्ष ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने 30 जुलाई 2022 को सेवा से निवृत्त श्री के. गणेश, भूतपूर्व पूर्णकालिक सदस्य के द्वारा प्राधिकरण की चर्चाओं में किये गये मूल्यवान योगदान को अभिलेखबद्ध किया। उन्होंने श्री थामस देवसिया, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) का स्वागत किया जो दिनांक 13 सितंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक में उपस्थित हो रहे थे। यह जानने के बाद कि आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष ने बैठक प्रारंभ की।

हाल की विनियामक पहलों पर अध्यक्ष द्वारा संक्षेप में प्रारंभिक टिप्पणियाँ करने के बाद कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

4. अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा 1 जुलाई 2022 से 31 अक्तूबर 2022 तक की गई विदेश यात्राओं का विवरण

उक्त विवरण पर प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिया गया।

7. आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 पर परिचालन द्वारा कार्यसूची नोट

7.1 यह प्रस्तुत किया गया कि "आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22" पर एक प्रचालन कार्यसूची नोट उसमें किये गये प्रस्तावों के अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए परिचालित किया गया। प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने उपर्युक्त परिचालित संकल्प पर अपनी सहमति दी।

7.2 प्राधिकरण ने उक्त परिपत्र कार्यसूची मद पर ध्यान दिया तथा उस पर संकल्प को स्वीकार किया गया।

8. भारतीय बीमाकृत जीवनों संबंधी मृत्युदर (आईएएलएम) सारणियाँ (2015-17)

8.1 यह प्रस्तुत किया गया कि बीमांकिक निगरानी समीक्षा समिति (एओआरसी) [भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई), जीवन बीमा परिषद तथा बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) द्वारा संयुक्त रूप से गठित] ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए मृत्यु-दर की जाँच का संचालन किया। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 की अनुसूची II के खंड 5(2) के अंतर्गत आईएआई ने आईएएलएम (2012-14) के स्थान पर प्राधिकरण की सहमति के लिए आईएएलएम (2015-17) की सिफारिश की। चूँकि मृत्यु-संख्या की दरों में सुधार (लगभग 6% से 7% तक) उल्लेखनीय नहीं है, अतः चालू सारणी (2012-14) को जारी रखना होगा। इसके अलावा, आईएआई व्यवसाय और अन्य हितधारकों के हित के लिए आईएएलएम (2015-17) सारणी को प्रकाशित करेगा तथा बीमाकृत भारतीय जीवनों की अधिक हाल की मृत्यु-दर/अस्वस्थता-दर की जाँच-पड़ताल से संबंधित कार्य को प्रारंभ करेगा।

8.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद पर ध्यान दिया।

9. आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022

9.1 नियुक्त बीमांकक (एए) के पद के लिए आपूर्ति में वृद्धि करने तथा नियुक्त बीमांकक (एए) और बीमाकर्ताओं के कर्तव्यों और दायित्वों को अद्यतन करने के उद्देश्य से वर्तमान आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के स्थान पर आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 जारी करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित विनियमों में भारतीय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त बीमांकिक संस्थानों से विषय के विशेषीकरण तथा मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर अनुभव की अपेक्षा के अलावा, संबंधित व्यवसाय खंड में अनुभव को मान्यता प्रदान करने के लिए उपबंध शामिल हैं।

9.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

10. आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2022

10.1 आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2019 में प्रस्तावित संशोधनों में उक्त विनियमों की सीमित विधिमान्यता अवधि और सहगण (कोहार्ट) दृष्टिकोण को हटाने, प्रयोग की अवधि को 36 महीने तक और विस्तार की अवधि को 12 महीने तक बढ़ाने, तथा विचार न किये गये प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अनुमति देने के लिए उपबंध शामिल हैं।

10.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

11. आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022

11.1 आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे उपबंध शामिल हैं जिनके द्वारा कारपोरेट एजेंट (सीए) बीमा की प्रत्येक व्यवस्था (जीवन, साधारण और स्वास्थ्य) में नौ बीमाकर्ताओं तक व्यवस्थाएँ कर सकता है तथा कुल व्यवस्थाएँ सत्ताईस से अधिक नहीं होनी चाहिए। कारपोरेट एजेंटों (सीए) के द्वारा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के साधारण बीमा कवरों का स्रोतीकरण वर्तमान रु. 5 करोड़ के स्थान पर प्रति जोखिम रु. 10 करोड़ (सभी बीमाओं को संयुक्त रूप से लेते हुए) के बीमा की कुल राशि तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

11.2 आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे उपबंध शामिल हैं जिनके द्वारा बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) प्रत्येक (जीवन, साधारण और स्वास्थ्य) छह बीमाकर्ताओं तक तालमेल व्यवस्थाएँ कर सकता है तथा आईएमएफ एक राज्य के सभी जिलों में परिचालन कर सकता है।

11.3 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के साधारण बीमा के लिए रु. 5 करोड़ की वर्तमान सीमा को बनाये रखते हुए उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

15. आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) (संशोधन) विनियम, 2022

15.1 आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य फ़सल बीमा व्यापन को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूँजी के कुशल उपयोग के लिए था। प्रस्तावित संशोधनों में शोधन-क्षमता मार्जिन की अपेक्षाओं के परिकलन में फ़सल बीमा के लिए लागू कारक ए और बी को 0.7 से 0.5 तक कम करने तथा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्राप्य प्रीमियमों को 365 दिन तक स्वीकार्य आस्ति के रूप में मानने के लिए उपबंध शामिल हैं।

15.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

16. आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022

16.1 आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015 की तुलना में प्रस्तावित परिवर्तनों में अन्य प्रकार की पूँजी (ओएफसी) के निर्गम के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को हटाना, बीमाकर्ता के ओएफसी संबंधी सीमा का कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी और प्रतिभूति प्रीमियम के 50% अथवा निवल मालियत (नेट वर्थ) के 50% से निम्नतर होना, जब शोधन-क्षमता अनुपात कम से कम 180% है तब निर्गत ओएफसी के अंतर्गत क्रय विकल्प (काल आप्शन) का प्रयोग करने के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को हटाना, तथा बीमाकर्ता के बोर्ड का दायित्व शामिल हैं।

16.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

19. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) (संशोधन) विनियम, 2022

19.1 आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य बीमा व्यापन में वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ पूँजी का कुशल उपयोग करना था। प्रस्तावित संशोधनों में शोधन-क्षमता मार्जिन के परिकलन में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए लागू दूसरे कारक को 0.10% से 0.05% तक कम करना, तथा यूनिट सहबद्ध व्यवसाय (गारंटियों के बिना) के लिए लागू प्रथम कारक को 0.80% से 0.60% तक कम करना शामिल हैं।

19.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

21. शक्तियों का प्रत्यायोजन

21.1 दंड लगाने की प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने के लिए, शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया। अध्यक्ष के द्वारा गठित दो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102, 104, 105सी(2) और 105(डी) के अधीन दंड लगाने की शक्ति का प्रत्यायोजन करने का प्रस्ताव था।

21.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

22. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022

22.1 बीमा क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करने के लिए उपाय करने के साथ ही, बीमा क्षेत्र की संवृद्धि का संवर्धन करने तथा पंजीकरण की प्रक्रिया एवं विभिन्न संबंधित विनियामक शर्तों का सरलीकरण करने के उद्देश्य के साथ, आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 प्रस्तावित हैं। इस संबंध में, निम्नलिखित विनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों का निरसन करने का प्रस्ताव हैः

क. आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000
ख. आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
ग. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों में निजी ईक्विटी निधियों के द्वारा निवेश) दिशानिर्देश, 2017
घ. सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियों के लिए दिशानिर्देश दिनांक 15 जून, 2017
ङ. परिपत्र आईआरडीए/एफ&ए/सीआईआर/टीआरएसएच/195/07/2020 दिनांक 22 जुलाई, 2020 (शेयरों का अंतरण और गिरवी)
च. परिपत्र आईआरडीए/एफ&ए/सीआईआर/ईएचपी/162/09/2018 दिनांक 27 सितंबर, 2018 (शेयरधारिता का स्वरूप)

22.2 अवरुद्धता (लाक-इन) अवधि की आवश्यकताओं तथा प्रस्तावित विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रदत्त अनुमोदनों के संबंध में प्रवर्तकों के वर्गीकरण एवं बीमाकर्ता/प्रवर्तक द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाइयों को बचाने हेतु उपयुक्त संरक्षण (ग्रैंडफ़ादरिंग) उपलब्ध कराने के लिए पुनरीक्षण (रीविजिट) करने की शक्ति अध्यक्ष को प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया।

22.3 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

31. कार्यकारी निदेशक ग्रेड के लिए वेतन और भत्तों का संशोधन

31.1 कार्यकारी निदेशक (ईडी) ग्रेड के वेतन और भत्तों का संशोधन 1 नवंबर 2017 से करना नियत था। ईडी ग्रेड को छोड़कर अन्य सभी ग्रेडों के लिए वेतन और भत्तों का संशोधन 11 अप्रैल 2022 को किया गया था क्योंकि उस समय सेबी द्वारा इनका संशोधन नहीं किया गया था। सेबी में की गई उनसे संबंधित व्यवस्थाओं के अनुरूप ही ईडी ग्रेड के लिए वेतन और भत्तों का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

31.2 इस विषय में अध्यक्ष को शक्तियों के प्रत्यायोजन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद पर ध्यान दिया।

सभी सदस्यों के प्रति आभार-प्रदर्शन के साथ बैठक समाप्त हुई।

The Chairperson extended a warm welcome to all the Members present. He placed on record valuable contributions made to the deliberations of the Authority by Shri K Ganesh, former Whole-time Member retired on 30th July, 2022. He welcomed Shri Thomas Devasia, Whole-time Member (Non-Life) who was attending the meeting for the first time after his appointment vide notification dated 13th September, 2022. After ascertaining that requisite quorum was present, Chairperson started the meeting.

After brief opening remarks by the Chairperson on recent regulatory initiatives, following agenda items were taken up.

4. Statement of Foreign Tours Undertaken by Chairperson & Members from 1st July, 2022 to 31st October, 2022

The statement was noted by the Authority.

7. Agenda Note by Circulation on IRDAI's Annual Report 2021-22

7.1 It was submitted that a circular agenda note on "IRDA's Annual Report 2021-22" was circulated seeking approval of the proposals made therein. All Members of the Authority had consented to the said circular resolution.

7.2 The Authority noted the circular agenda item and the resolution adopted thereon.

8. Indian Assured Lives Mortality (IALM) Tables (2015-17)

8.1 It was submitted that Actuarial Oversight Review Committee (AORC) [jointly formed by Institute of Actuaries of India (IAI), Life Insurance Council and Insurance Information Bureau (IIB)] carried out mortality investigation for the period 1st April 2015 to 31st March 2017. Under clause 5 (2) of Schedule II of IRDAI (Assets Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016, IAI has recommended IALM (2015-17) for concurrence of Authority in place of IALM (2012-14). As the improvement in mortality rates is not significant (around 6% to 7%), the current table IALM (2012-14) is to be continued. Further, IAI would publish IALM (2015-17) table for benefit of the profession and other stakeholders and to take up work on more recent mortality/morbidity investigations of assured Indian lives.

8.2 The Authority noted the agenda item.

9. IRDAI (Appointed Actuary) Regulations 2022

9.1 With the objective to increase supply of actuaries for Appointed Actuary (AA) position and update duties & obligations of AAs and Insurers, it was proposed to issue IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022 in place of the existing IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017. The proposed regulations include provisions to recognise experience in the relevant business segment apart from subject specialisation from Indian or other recognised actuarial institutes and requirement of experience at middle or senior management level.

9.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

10. IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2022

10.1 Amendments proposed to IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019, included provisions to remove limited validity period of the regulations and cohort approach, to increase experiment period up to 36 months and extension period up to 12 months, and to allow review of proposals which are not considered.

10.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

11. IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022

11.1 Amendments proposed to IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 included provisions whereby**,** a Corporate Agent (CA) could have arrangements with up to nine insurers in each line of insurance (Life, General and Health) and total arrangements not to exceed twenty-seven. Sourcing commercial lines general insurance covers by CAs is proposed to be increased to total sum insurance per risk of Rs. 10 crore (all insurances combined) in place of existing Rs. 5 crore.

11.2 Amendments proposed to IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 included provisions whereby, an Insurance Marketing Firm (IMF) could tie-ups with up to six insurers each (Life, General and Health) and IMF may operate in all districts in a state.

11.3 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item while retaining the existing limit of Rs. 5 crore for commercial lines general insurance under IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

15. IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022

15.1 The objective of proposed amendments to IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business), Regulations, 2016 was for efficient utilization of capital aiming at increasing crop insurance penetration. Proposed amendments included provisions to reduce Factor A & B, applicable to crop insurance in the calculation of solvency margin requirements, to 0.5 from 0.7 and to treat premiums receivable relating to State or Central Government sponsored schemes up to 365 days as admissible asset.

15.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

16. IRDAI (Other forms of Capital) Regulations, 2022

16.1 Changes proposed when compared to IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015, included removal of prior approval requirement for issue of Other Forms of Capital (OFC), limit on OFC of an insurer to be lower of 50 % of the total paid up equity share capital and securities premium or 50 % of the net worth, removal of prior approval requirement for exercising call option under OFC issued when the solvency ratio is at least 180%, and responsibility of the insurer's Board.

16.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

19. IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022

19.1 The objective of proposed amendments to IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business), Regulations, 2016 was for efficient utilization of capital aiming at increasing insurance penetration. Proposed amendments included provisions to reduce second factor applicable to Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana to 0.05% from 0.10% and to reduce first factor applicable to Unit linked business (without guarantees) to 0.60% from 0.80%, in the calculation of solvency margin requirements.

19.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

21. Delegation of Powers

21.1 In order to rationalize the penalty imposition process, it was proposed to revise existing delegation of powers. Proposal was to delegate power to impose penalty under the Sec. 102, 104, 105C (2) and 105(D) of Insurance Act, 1938 to panel of two Whole Time Members constituted by the Chairperson.

21.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

22. IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022

22.1 With the objective of promoting growth of insurance sector and simplify the process of Registration and consolidation of various relevant regulatory stipulations, while bringing measures to attract investments into the sector, the IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 are proposed. In this regard, the following Regulations / Guidelines / Circulars are proposed to be repealed:

a. IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000

b. IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015

c. IRDAI (Investment by Private Equity Funds in Indian Insurance companies) Guidelines, 2017

d. Guidelines for Listed Indian Insurance Companies 2016 dated 15th June 2017

e. Circular IRDA/F&A/CIR/TRSH/195/07/2020 dated 22nd July 2020 (transfer & pledge of shares)

f. Circular IRDA/F&A/CIR/EHP/162/09/2018 dated 27th September 2018 (Shareholding pattern)

22.2 It was also proposed to empower the Chairperson to revisit lock-in period requirements and classification of promoters in respect of approvals granted prior to notification of the proposed regulations and to provide suitable grandfathering to save the earlier actions taken by insurer/promoter.

22.3 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

31. Revision of Pay and Allowances for Executive Director grade

31.1 Pay and allowances of Executive Director (ED) grade were due for revision with effect from 1st November 2017. Pay and allowances for all other grades were revised on 11th April 2022 except ED grade as the same were not revised by SEBI at that point of time. Proposal was submitted to revise pay and allowances for ED grade on the lines of those at SEBI.

31.2 In view of delegation of powers to the Chairperson in the matter, after due deliberations, the Authority noted the agenda item.

The meeting ended with a vote of thanks to all Members.

अध्यक्ष

CHAIRPERSON